प्रेस विज्ञप्ति
21.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने मेसर्स एम्मार इंडिया लिमिटेड द्वारा एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के निदेशक श्रवण गुप्ता द्वारा 180 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और अवैध लेनदेन से संबंधित मामले में एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड** से संबंधित **82.29 करोड़ रुपये** मूल्य की धन-शोधन के अपराध में लिप्त अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मेट्रोपोलिटन मॉल, गुरुग्राम में 50.83 करोड़ रुपये मूल्य के 42,364 वर्ग फुट और मेट्रोपोलिटन मॉल, साकेत, दिल्ली में 31.46 करोड़ रुपये मूल्य के 33,601 वर्ग फुट वाणिज्यिक स्थान शामिल हैं।

ईडी ने ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के निदेशक और अध्यक्ष श्रवण गुप्ता ने एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड, जो एम्मार पीजेएससी, दुबई और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है, से 180 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि हड़प ली।

ईडी की जांच से पता चला कि गुरुग्राम सेक्टर-77 स्थित पाम हिल्स और गुरुग्राम सेक्टर-102 स्थित इंपीरियल गार्डन नामक दो आवासीय परियोजनाएं संयुक्त उद्यम कंपनी एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड के तहत विकसित की गई थीं। एमजीएफ के अध्यक्ष और निदेशक श्रवण गुप्ता ने संयुक्त उद्यम को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की आड़ में फर्जी और पुरानी तारीख वाले समझौतों के जरिए संयुक्त उद्यम कंपनी से धन हड़पने के लिए दो कंपनियों मेसर्स नैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सौम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया था।

जांच के दौरान श्रवण गुप्ता को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुआ। गौरतलब है कि श्रवण गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के ईडी मामले में भी आरोपी है और देश छोड़कर भाग गया है।

आगे की जांच जारी है।